5/12/15

पत्रावली पेश हुई । [illegible] [illegible] डिक्री लिखा जाता है । डिक्रीदार [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जारी [illegible] [illegible] लिखा जावे । [illegible] [illegible] [illegible] होकर [illegible] ने [illegible] होकर पत्रावली दफ्तर में [illegible] [illegible] [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. संतोष कुमार
2. हेमेन्द्र कुमार
3. रामबाबू

पुत्रान रघुवीर प्रसाद जातियान सभी महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0

4. मुन्नी देवी पत्नी रघुवीर प्रसाद
5. प्रकाश चन्द
6. गोविन्द प्रसाद

पुत्रान हरीचरण जाति महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र हरगोविन्द
2. विष्णु पुत्र हरगोविन्द
3. रामकुमार पुत्र हरगोविन्द
4. ब्रहमानन्द पुत्र हरगोविन्द
5. शिवदयाल पुत्र हरगोविन्द
6. केदार पुत्र हरगोविन्द

जातियाान सभी ब्राहमण निवासी हाल शुक्ला कॉलोनी करौली जिला करौली

7. नारायण दत्तक पुत्र प्रभुलाल
8. सुरेश दत्तक पुत्र प्रभुलाल

जाति महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0

9. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर करौली तहसील व जिला करौली

––प्रतिवादीगण

दावा धारा 188, 92 ए आर0टी0एक्ट
मुकदमा नं. 26/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग**, एडवाकेट मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाब किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 4646 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली में कोई निर्माण न करें एवं वादी के मदाखलत मजामत नहीं करें एवं उक्त आराजी में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा किये गये निर्म को वादीगण प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के खर्चे से हटवाने के अधिकारी है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन क तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 9/12/15 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी	
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान			मीजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखायी गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—26/15 तारीख रजु:—3.7.15

उनवान

1. संतोष कुमार
2. हेमेन्द्र कुमार
3. रामबाबू

पुत्रान रघुवीर प्रसाद जातियान सभी महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0

4. मुन्नी देवी पत्नी रघुवीर प्रसाद
5. प्रकाश चन्द
6. गोविन्द प्रसाद

पुत्रान हरीचरण जाति महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0

——वादीगण

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र हरगोविन्द
2. विष्णु पुत्र हरगोविन्द
3. रामकुमार पुत्र हरगोविन्द
4. ब्रहमानन्द पुत्र हरगोविन्द
5. शिवदयाल पुत्र हरगोविन्द
6. केदार पुत्र हरगोविन्द

जातियाान सभी ब्राहमण निवासी हाल शुक्ला कॉलोनी करौली जिला करौली

7. नारायण दत्तक पुत्र प्रभुलाल
8. सुरेश दत्तक पुत्र प्रभुलाल

जाति महाजन निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0

9. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर करौली तहसील व जिला करौली

——प्रतिवादीगण

दावा धारा 188, 92 ए आर0टी0एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक:— 9/12/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 4646 रकवा 3 वीघा 16 विस्वा वाके करौली की वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को किसी प्रकार का [illegible] सम्बन्ध नही है प्रतिवादीगण ताकत वाले पैसे वाले एवं झगड़ालू किस्म व्यक्ति है और जबरन वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 4646 में जबरन निर्माण करने पर आमदा है दिनांक 25.6.2015 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 ने जबरन शुक्ला कॉलोनी की तरफ हमारे खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4646 के कुछ हिस्से में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है हम वादीगण ने निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested

न करने की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 से मना किया तो आमदा फिसाद हो गये यही वजह नालिस है। वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हे कि वे वादीगण के शामलाती कब्जे काश्त में किसी तरह से मदाखलत मजाहेमत नही करें न किसी अन्य से करावे वादीगण को शांति पूर्वक आराजी पर काबिज रहने दे आराजी मुतनाजा में न तो स्वयं कोई निर्माण कार्य करें न करावें एवं प्रतिवादीगण द्वारा जबरन जो निर्माण कार्य कर लिया |है उसे वादीगण प्रतिवादीगण ने खर्चे से हटवाने के अधिकारी है। तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर कृषि भूमि में निर्माण कार्य बिना कनवर्जन के नही होने देने के लिए बाध्य है इसलिऐं प्रतिवादी नम्बर 9 को पाबन्द किया जावे कि वे मोके पर जाकर निर्माण कार्य को रूकवाये एवं प्रतिवादगण नम्बर 1 लागयत 6 द्वारा जो जबरन निर्माण कार्य आराजी मुतनाजा में कर लिया है। विनाय मुखासमत दिनांक 25.6.2015 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 6 द्वारा आराजी मुतनाजा में अनाधिकार निर्माण प्रारम्भ करने पर एवं निर्माण की मना करने पर न मानने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई दावा अन्दर म्याद है व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 7 व 8 की बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी नंबर 7 व 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 व 8 के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है और उक्त आराजी पर लम्बे अर्से से कोई फसल काश्त की नही है और उक्त आराजी के संदर्भ में वादीगण के विरूद्व दीगर व्यक्तियों द्वारा दावा न्यायालय श्रीमान में इस आशय का लम्बित है कि उक्त आराजी की खातेदारी विधि विरूद्व होने से वादीगण के पूर्वजो के नमा दर्ज हुई है और विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त कभी नही रहा है। हम प्रतिवादीगण ताकतवाले पैसे वाले व झगडालु किस्म के [illegible] नही है और ना ही प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 4646 में जबरन [illegible] निर्माण करने पर आमदा ह"ना ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी में कोई [illegible] निर्माण किया गया हम प्रतिवादीगण का समस्त निर्माण सन 2001 का है [illegible] निर्माण प्रारम्भ से ही वादीगण एवं प्रतिवादी सं 7 व 8 की पूर्ण जानकारी में रहा है और प्रतिवादीगण सन 2001 से ही अपनी मकानियतों में रिहायश कर रहे है वादीगण व प्रतिवादी सं 7 व 8 ने प्रतिवादीगण के निम्प्राण बावत निर्माण के समय

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested

एवं उसके पश्चात भी कोई ऐतराज नही किया वादीगण का इस मद में य हकथ्ज्ञन पूर्णतःया गलत है कि दिनांक 25.06.2015 को प्रतिवादीग सं 1 ता 6 ने जबरन शुक्ला कालोनी की तरफ अपनी जमीन खसरा नम्बर 4646 के कुछ हिस्सों में निर्माण शुरू कर दिया है और यह कथन भी पूर्णःतया गलत है कि वादीगण ने निर्माण करने की मना की तो प्रतिवादीगण आमदा फिसाद हो गये प्रतिवादीगण द्वारा सन 2015 में अथवा उसके आसपास कोई निर्माण नही किया गया है। वादीगण ने इस मद में समस्त तथ्या मिथ्या दर्ज किये है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का समस्त निर्माण सन 2001 का है जो करीब 18 साल पुराना हो चुका है। इस प्रकार प्रतिवादीगण दायरी दावा के समय से करीब 14 साल पूर्व से विवादित आराजी पर निर्विवाद, निर्वधन रूप से लगातार व जानकारी वादीगण व प्रतिवादी सं 7 व 8 के मकानियत निर्मित कर रिहायश करते चले आ रहे है और प्रतिवादीगण का कब्जा 12 साल से अधिक पुराना होने से प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा भी विधि द्वारा उपधारित किये जाने योग्य है और वादीगण किसी भी प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही कोई अन्य अनुतोष हम प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित आराजी बीसियों साल से काश्त नही होती है और पूर्णतःया आबादी के बीच स्थित है और उक्त आराजी में दीगर लोगों की भी मकानियत निर्मित होकर रिहायश हो रही है प्रतिवादीगण का निर्माण सन 2001 का है। जिस निर्माण को वादीगण किसी भी प्रकार हटवाने के अधिकारी नही है। वादीगण को कोई विनाय मुखासमत दिनांक 25.06.2015 को अथवा किसी अन्य दिवस को पैदा नही हुई है प्रतिवादीगण ने दिनांक 25.06.2015 को कोई निर्माण प्रारम्भ नही किया है अपितू सम्पूर्ण निर्माण सन 2001 का है वादीगण ने मिथ्या बाद कारण तैयार कराने के उददेश्य से उक्त समस्त तथ्य दावा में दर्ज किये हैं। प्रतिवादी सं 7 व 8 दावा में इसी कारण वादी नही बने है क्योंकि उक्त प्रतिवादीगण जानते है कि विवादित आराजी से वादीगण एवं प्रतिवादी सं 7 व 8 का कोई सम्बन्ध नही है और हम प्रतिवादीगण का निर्माण करीब 18 साल पुराना है। अंत में दावा वादी खा[illegible] किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:23
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाधक बिन्दू विरचित किये गये है:–

1. आया आराजी ख0नं0 4646 रकवा 3 वीघा 16 विस्वा स्थित कस्बा करोली वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है।

––वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

2. आया वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा आराजी ख0 न0 4646 रकबा 3 वीघा 16 विस्वा में कोई भी निर्माण कार्य न करने के लिये पाबन्द कराने के अधिकारी है एवं किये गये निर्माण को जरिये मेन्डेटरी कनजवेसन हटवाने के अधिकारी है।

—वादीगण

3. आया ख0न0 4646 में निर्माण प्रतिवादीगण का 2001 का है। प्रतिवादीगण का 12 साल से अधिक कब्जा होने में विधि द्वारा उपधारित किये जाने योग्य है।

—प्रतिवादीगण

4. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी हेमेन्द्र गुप्ता पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1 पेश की है। साक्ष्यवादी समाप्त की जाकर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी विष्णुचंद शर्मा डीब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये एवं दस्तावेजी सबूत कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 4646 रकवा 3 वीघा 16 विस्वा वाके करौली की वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 का 1/2 हिस्सा है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को किसी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नही है प्रतिवादीगण ताकत वाले पैसे वाले एवं झगडालु किस्म के व्यक्ति है और जबरन वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 4646 में जबरन निर्माण करने पर आमादा है दिनांक 25.6.2015 को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 ने जबरन शुक्ला कालोनी की तरफ हमारे खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4646 के कुछ हिस्से में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है हम वादीगण ने निर्माण न करने की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 से मना किया तो आमदा फिसाद हो गये यही वजह

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नालिस है। वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हे कि वे वादीगण के शामलाती कब्जे काश्त में किसी तरह से मदाखलत मजाहेमत नही करें न किसी अन्य से करावे वादीगण को शांति पूर्वक आराजी पर काबिज रहने दे आराजी मुतनाजा में न तो स्वयं कोई निर्माण कार्य करें न करावें एवं प्रतिवादीगण द्वारा जबरन जो निर्माण कार्य कर लिया है उसे वादीगण प्रतिवादीगण ने खर्चे से हटवाने के अधिकारी है। तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर कृषि भूमि में निर्माण कार्य बिना कनवर्जन के नही होने देने के लिए बाध्य है इसलिऐं प्रतिवादी नम्बर 9 को पाबन्द किया जावे। अंत मे दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजी पर लम्बे अर्से से कोई फसल काश्त की नही है और उक्त आराजी के संदर्भ में वादीगण के विरूद्व दीगर व्यक्तियों द्वारा दावा न्यायालय श्रीमान में इस आशय का लम्बित है कि उक्त आराजी की खातेदारी विधि विरूद्व होने से वादीगण के पूर्वजो के नमा दर्ज हुई है और विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त कभी नही रहा है। हम प्रतिवादीगण ताकतवाले पैसे वाले व झगडालु किस्म के व्यक्ति नही है और ना ही प्रतिवादीगण आराजी खसरा नम्बर 4646 में जबरन कोई निर्माण करने पर आमदा है ना ही प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी में कभी जबरन निर्माण किया गया हम प्रतिवादीगण का समस्त निर्माण सन 2001 का है जो निर्माण प्रारम्भ से ही वादीगण एवं प्रतिवादी सं 7 व 8 की पूर्ण जानकारी में रहा है और प्रतिवादीगण सन 2001 से ही अपनी मकानियतों में निवास कर रहे वादीगण व प्रतिवादी सं 7 व 8 ने प्रतिवादीगण के निर्माण बाबत निर्माण के समय एवं उसके पख्चात भी कोई ऐतराज नही किया वादीगण का इस मद में य हकथ्ज्ञन पूर्णतः्या गलत है कि दिनांक 25.06.2015 को प्रतिवादीग सं 1 ता 6 ने जबरन शुक्ला कालोनी की तरफ अपनी जमीन खसरा नम्बर 4646 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

कुछ हिस्सों में निर्माण शुरू कर दिया है और यह कथन भी पूर्णतया गलत है कि वादीगण ने निर्माण करने की मना की तो प्रतिवादीगण आमदा फिसाद हो गये प्रतिवादीगण द्वारा सन 2015 में अथवा उसके आसपास कोई निर्माण नही किया गया है। वादीगण ने इस मद में समस्त तथ्या मिथ्या दर्ज किये है। विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का समस्त निर्माण सन 2001 का है जो करीब 18 साल पुराना हो चुका है। इस प्रकार प्रतिवादीगण दायरी दावा के समय से करीब 14 साल पूर्व से विवादित आराजी पर निर्विवाद, निर्वधन रूप से लगातार व जानकारी वादीगण व प्रतिवादी सं 7 व 8 के मकानियत निर्मित कर रिहायश करते चले आ रहे है और प्रतिवादीगण का कब्जा 12 साल से अधिक पुराना होने से प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा भी विधि द्वारा उपधारित किये जाने योग्य है और वादीगण किसी भी प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही कोई अन्य अनुतोष हम प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी है। विवादित आराजी बीसियों साल से काश्त नही होती है और पूर्णतःया आबादी के बीच स्थित है और उक्त आराजी में दीगर लोगों की भी मकानियत निर्मित होकर रिहायश हो रही है प्रतिवादीगण का निर्माण सन 2001 का है। जिस निर्माण को वादीगण किसी भी प्रकार हटवाने के अधिकारी नही है। अंत दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य का विवेचन कर अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1 पेश की है। जिसमें वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 व 8 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है।

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00:2
Reason: SelfAttested

स्वराज्य अधिकारी
करौली (राज०)

जिससे भूमि वादीगण के व प्रतिवादी नंबर 7 व 8 के संयुक्त खातेदारी की होना प्रकट है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार खसरा नंबर 4646 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 व 8 के खातेदारी की होना प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 का कोई संबंध नहीं होना साबित है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने विवाद्यक संख्या 2 के संबंध में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा वर्ष 2015 में खसरा नंबर 4646 में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा भूमि को दबाते हुए निर्माण शुरू करना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादी विष्णु ने अपनी जिरह में कथन किया है कि हमने खसरा नंबर 4646 में कोई भूमि दबाकर निर्माण नहीं किया है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 का निर्माण खसरा नंबर 4651 में प्लांट खरीदकर किया है। खसरा नंबर 4646 पर निर्माण होने से इंकार किया है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से खसरा नंबर 4646 वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 व 8 की खातेदारी की होना प्रमाणित किया है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा खसरा नंबर 4651 में दिसम्बर 2000 में प्लाट खरीद करना बताया है। खसरा नंबर 4646 वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 व 8 खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को भूमि में निर्माण नहीं करने को पाबंद कराने के हकदार है और उक्त भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा किये गये निर्माण को हटवाने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Ve
Digitally signed by Pr
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा अपनी साक्ष्य जिरह में अपना निर्माण खसरा नंबर 4651 में बताया है। खसरा नंबर 4646 में निर्माण होने इंकार किया है और खसरा नंबर 4646 पर कब्जा होने से भी इंकार किया है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 का कब्जा खसरा नंबर 4646 पर 12 साल से कब्जा हो प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से खसरा नंबर 4646 वादीगण व प्रतिवादी नंबर 7 व 8 की खातेदारी की होना प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी से साबित है। उक्त भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को निर्माण करने का हक हकूक नहीं है। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भूमि पर कब्जा वादीगण होना कथन किया है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा अपना निर्माण खसरा नंबर 4651 में प्लाट खरीदकर करना स्वीकार किया है। वादीगण प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश से पाबंद कराने के हकदार है और प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा किये गये निर्माण को हटवाने के अधिकारी है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आराजी खसरा नंबर 4646 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली में कोई निर्माण नहीं करें एवं वादी के मदाखलत मजामत नहीं करें एवं उक्त आराजी में प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 द्वारा किये गये निर्माण को वादीगण प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के खर्चे से हटवाने के अधिकारी है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:23 IST
Reason: SelfAttested